

दिनांक 16.05.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विशेष सचिव-सह-अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही-

उपस्थिति-

- | | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 1. श्री के० सेंथिल कुमार | - विशेष सचिव | - अध्यक्ष |
| 2. श्री सुजीत कुमार राय | - संयुक्त श्रमायुक्त | - सदस्य |
| 3. श्री विवेक कुमार | - संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण | - सदस्य |
| 4. श्री अजीत कुमार सिन्हा | - सहायक निदेशक, नियोजन | - सदस्य |
| 5. डा० (श्रीमति) तृप्ति चौधरी | - उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें | |
| 6. श्री राकेश कुमार | - सहायक निदेशक, प्रशिक्षण | |
| 7. मो० मुस्तफा मंसूरी | - प्रशाखा पदाधिकारी-03 (सरकार पक्ष) | |
| 8. श्री देवेश कुमार | - श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (सरकार पक्ष) | |

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :-

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है-

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ० प्र० संस्थान, कटिहार	<p><u>अंकेक्षण आपत्ति सं०-125/2009-10 के संबंध में-</u></p> <p>प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-1005 दिनांक-16.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंकेक्षण आपत्ति सं०-125/2009-10 में श्री रामानन्द सिंह, मुख्य अनुदेशक (से०नि०) का मकान किराया भत्ता का अवैध भुगतान की राशि को कटौती की जानी है। मकान किराया भत्ता की राशि जो रू० 1,18,981/- है, जिसकी कटौती की जानी है, उक्त राशि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की राशि से कटौती कर शेष का भुगतान किया जा चुका है। प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, कटिहार के पत्रांक-493 दिनांक-20.09.2017 के द्वारा निदेशकीय समीक्षोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को हस्तगत करा दिया गया है। परन्तु अब तक महालेखाकार के द्वारा अंतिम निर्णय औ०प्र० संस्थान, कटिहार को प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशालय पत्रांक-659 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान, कटिहार को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर मामले का निराकरण करने हेतु पत्र दिया गया है।</p> <p>समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मामले के निष्पादन में अनावश्यक बिलम्ब किया जा रहा है। उपस्थित सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि मामले का शीघ्र नियमानुसार निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदित किया जाए।</p>

<p>2. श्री अशोक कुमार राम, मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, दीघाघाट, पटना</p> <p>3. श्री स्नेही लाल बैठा, मुख्य अनुदेशक, औ0प्र0 संस्थान, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण</p> <p>4. श्री शिव महतो, मुख्य अनुदेशक, औ0प्र0 संस्थान, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण</p> <p>5. श्री अशोक कुमार, मुख्य अनुदेशक, औ0प्र0 संस्थान, अरवल</p>	<p><u>मुख्य अनुदेशक से सहायक अधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में-</u></p> <p>प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-1005 दिनांक 16.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के आलोक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुदेशक संवर्ग के पद को टू-टायर कैडर करने एवं प्रोन्नति का पद ग्रुप इन्सट्रक्टर करने से संबंधित नियामवली विभागीय अधिसूचना सं0-950 दिनांक 11.05.2018 द्वारा बिहार औद्योगिक निदेशक संवर्ग नियमावली 2018 निर्गत कर दिया गया है। उक्त के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतएव इसे विलोपित समझा जाए।</p> <p>उपस्थित सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि नियमानुसार समीक्षा कर मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाए एवं समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।</p>
<p>6. श्री प्रेम चन्द कुमार सिन्हा, महासचिव, बिहार राज्य औ0प्र0 संस्थान कर्मचारी संघ, दीघा, पटना-11</p>	<p><u>राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सहायक अधीक्षक के पद को बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि उप प्राचार्य के पद में अभी तक आमेलित नहीं किए जाने के संबंध में-</u></p> <p>प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-1005 दिनांक 16.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सातवाँ वेतन पुनरीक्षण के आलोक में श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुदेशक संवर्ग के पद को टू-टायर कैडर करने एवं प्रोन्नति का पद ग्रुप इन्सट्रक्टर करने से संबंधित नियामवली विभागीय अधिसूचना सं0-950 दिनांक 11.05.2018 द्वारा बिहार औद्योगिक निदेशक संवर्ग नियमावली 2018 निर्गत कर दिया गया है। उक्त के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतएव इसे विलोपित समझा जाए।</p> <p>उपस्थित सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि नियमानुसार समीक्षा कर मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाए एवं समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।</p>

7. श्री राजीव कुमार,
उच्चवर्गीय लिपिक,
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण

वित्त विभाग के पत्रांक-8966 दिनांक 28.08.2012 के आलोक में झारखण्ड राज्य से अन्तिम रूप से बिहार में योगदान करने के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2006 से 31.03.2007 तक झारखण्ड राज्य का पुनरीक्षित बकाये वेतन का भूगतान के संबंध में-

प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-1005 दिनांक 16.05.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के मामले पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ है, जिसमें पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश को वर्तमान पदनाम से पत्र निर्गत किया जाना है। तदनुसार निदेशालय स्वीकृत्यादेश सं०-569 दिनांक 22.03.2018 के द्वारा निर्गत किया गया है। अनुरोध है कि उक्त मामले को निष्पादित किया जा सकता है।

समिक्षोपरान्त पाया गया कि प्रशिक्षण पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन विगत बैठक में समर्पित प्रतिवेदन की पुनरावृत्ति है। विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि आवेदक के बकाया वेतन भुगतान के पश्चात् ही मामले को निष्पादित माना जा सकता है। सहायक निदेशक, प्रशिक्षण को पुनः निदेश दिया गया कि आवेदक के बकाये भुगतान के पश्चात् समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

1. डॉ० एस० एस० मुजफ्फरउद्दीन
बलखी


2. डॉ० उषा पाण्डेय


कर्मचारी राज्य बीमा योजना के आयुष, यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की नयी नियमावली बनाने के संबंध में।


कर्मचारी राज्य बीमा योजना पक्ष के पत्रांक 392 दिनांक 11.05.2018 द्वारा उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें ने प्रतिवेदित किया है कि आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली से संबंधित विभागीय संचिका सं०-1/ श्रम वि.ई. 8-80-01/2015 में प्रधान सचिव द्वारा निर्णय लिया गया है कि पृथक नियमावली बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त के आलोक में आवेदन को निष्पादित मानते हुए मामले को विलोपित किया जा सकता है।


उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आलोक में मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित करने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया है।

बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।


(अजीत कुमार सिन्हा)
सहायक निदेशक, नियोजन
सदस्य


(विवेक कुमार)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण
सदस्य


(सुजीत कुमार राय)
संयुक्त श्रमायुक्त
सदस्य


(के०सेथिल कुमार)
विशेष सचिव,
अध्यक्ष

ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2018 श्र0 सं0...1137

पटना, दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि:- निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में)/श्रमायुक्त, बिहार/निदेशक चिकित्सा सेवा, कर्म0रा0बीमा योजना/संयुक्त श्रमायुक्त-01/संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2018 श्र0 सं0...1137

पटना, दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि:- उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2018 श्र0 सं0...1137

पटना, दिनांक 18/5/2018

प्रतिलिपि:- सचिव विधि विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव सह अध्यक्ष

श्री. 10/10/18